

खास  
10.6.2024

फर्द अहकाम  
(नियम 15)

2024/91

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़  
सुखचैनसिंह बनाम महेन्द्रसिंह आदि

मुकदमा क्रि.सं अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 65 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
06.05.2024	<p>प्रार्थी सुखचैनसिंह की तरफ से वकील श्री बलवन्तराम छिम्पा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। रीडर की जांच रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं सलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण चक 6 केकेएम के प.नं. 219/52(34) कि.नं. 5/1, 6/2, 15/2 की 0.126 है., 219/59(33) के कि.नं. 6 ता 9, 11/1, 12 ता 19, 20/1, 21/1, 22 ता 25 की 4.693 है. कुल 4.819 है. व चक 7 केकेएम ए के प.नं. 219/52(18) कि.नं. 5/1 की 0.038 है., 219/60(19) कि.नं. 1/2, 2 ता 9, 10/2, 11/2, 12 ता 15, 17 ता 19, 20/2 की 4.490 है., 229/3(17) कि.नं. 10, 11, 20 की 0.759 है. कुल 5.287 है. भूमि की मौका की यथास्थिति बनाये रखें। यह निषेधाज्ञा अन्य किसी प्रकार के वाद (यथा खाता विभाजन आदि), रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ-साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 10.06.2024 को पेश हो।</p> <p>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p> <p>10.6.2024</p> <p>वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रिन्टआउट पेजी पेश करते पत्र पत्रावली ओ पेजी में निपा शपथ वकील प्रार्थी ने जिम्मेदार छिना छि प्रार्थना-पत्र 212 अन्तर्गत निषेधाज्ञा आगे नहीं चलाना चाहते हैं। को पूरा रिचार्ज में आवीज करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना 212 अन्तर्गत निषेधाज्ञा को पूरा रिचार्ज में आवीज किया जाता है। पत्रावली नम्बर के क्रम की जाकर बाद तारीख वकील प्रार्थी दाखिल दफतर हो।</p>	<p>वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रिन्टआउट पेजी पेश करते पत्र पत्रावली ओ पेजी में निपा शपथ वकील प्रार्थी ने जिम्मेदार छिना छि प्रार्थना-पत्र 212 अन्तर्गत निषेधाज्ञा आगे नहीं चलाना चाहते हैं। को पूरा रिचार्ज में आवीज करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना 212 अन्तर्गत निषेधाज्ञा को पूरा रिचार्ज में आवीज किया जाता है। पत्रावली नम्बर के क्रम की जाकर बाद तारीख वकील प्रार्थी दाखिल दफतर हो।</p> <p>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p> <p>10.6.2024</p> <p>वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रिन्टआउट पेजी पेश करते पत्र पत्रावली ओ पेजी में निपा शपथ वकील प्रार्थी ने जिम्मेदार छिना छि प्रार्थना-पत्र 212 अन्तर्गत निषेधाज्ञा आगे नहीं चलाना चाहते हैं। को पूरा रिचार्ज में आवीज करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना 212 अन्तर्गत निषेधाज्ञा को पूरा रिचार्ज में आवीज किया जाता है। पत्रावली नम्बर के क्रम की जाकर बाद तारीख वकील प्रार्थी दाखिल दफतर हो।</p> <p>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p> <p>10.6.2024</p>

सुखचैनसिंह  
9642  
महेन्द्रसिंह आदि

